राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2171/2010/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 2172/2010/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 2173/2010/भीलवाड़ा.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विराट क्रशर्स, समोड़ी, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वेदराज गहलोत, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 199 व 200/आरएसटी/09–10 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 29.03.2010 एवं अपील संख्या 201/आरएसटी/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2003–04 व 2004–05 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30 व 68 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.06.2008 व कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के लिये अधिनियम की धारा 29(6), 29(5), 58, 61 व 68 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2008 के लिये प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. तीनों अपीलों के तथ्य, विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2003–04 व 2004–05 के नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 21.01.2006 व 15.03.2007 को पारित कर प्रत्यर्थी की क्रेशर से उत्पादित गिट्टी को बिल्डिंग मैटेरियल के रूप में देय कर अनुसार कर दर आरोपित करते हुए कर निर्धारण किया गया था। उसके पश्चात् दिनांक 3.6.2008 को उक्त दोनों ही कर निर्धारण आदेशों को अधिनियम की धारा 30

लगातार.....2

के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित कर यह निर्णय किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो गिट्टी बेची गयी है, उस पर कर दर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4/एफडी/टैक्स/01 पार्ट—146 दिनांक 15.01.2003 के अनुसार वजन के आधार पर कर दर लागू होती है, अतः पूर्व के कर निर्धारण आदेशों को संशोधित करते हुए वजन के आधार पर कर आरोपित कर दोनों ही वर्षों में मांग कायम की गयी। इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2005—06 के लिये अधिनियम की धारा 29(6), 29(5) के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग कायम की गयी। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने विवादित कर निर्धारण आदेशों का समर्थन किया तथा राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेशर से उत्पादित गिट्टी का विक्रय किया जाना बताया गया है जो प्रथम बार किये गये नियमित कर निर्धारण आदेश एवं उक्त विवादित आदेशों में भी विवादित नहीं किया गया है कि व्यवहारी का माल गिट्टी के रूप में ही विक्रय किया गया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गिट्टी पर दिनांक 15.01.2003 की ऊपर वर्णित अधिसूचना अनुसार कर आरोपणीय बताते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जो विधिक रूप से उचित नहीं हैं। दिनांक 15.01.2003 की अधिसूचना में वजन के आधार पर कुछ वस्तुओं पर कर उद्ग्रहणीय किया गया था परन्तु इस अधिसूचना में "गिट्टी" पर वजन के आधार पर कर दर अधिसूचित नहीं की गयी थी बल्कि उसमें "ग्रिट" पर वजन के आधार पर कर दर अधिसूचित की गयी थी। इस विवाद को अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि गिट्टी एवं ग्रिट अलग—अलग वस्तुएं हैं, जिसका प्रमाण राज्य सरकार की पश्चातवर्ती जारी की गई अधिसूचना दिनांक 11.09.2006 [एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005—83] से प्रमाणित होता है क्योंकि इस अधिसूचना के क्रम संख्या 5 पर ग्रिट तथा कॉलम संख्या 6 पर Blast including gitti and kankari अंकित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 15.01.2003 से 11.09.2006 तक प्रचलित अधिसूचना दिनांक 15.01.2003 अनुसार मूल कर निर्धारण आदेश में वर्ष

लगातार.....2

2003—04 एवं 2004—05 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिल्डिंग मैटेरियल की कर दर लागू की गयी है क्योंकि उस अधिसूचना में गिट्टी नामक वस्तु पर वजन के आधार पर कर उद्ग्रहणीय नहीं किया गया है। गिट्टी पर भी वजन के आधार पर कर दर की अधिसूचना दिनांक 11.09.2006 को जारी की गई जिसका प्रभाव 11.09.2006 से आगे के वर्षों के लिये दिया जा सकता है। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में स्पष्ट त्रुटि को अंकित करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11.9.2006 के पूर्व तक गिट्टी की बिक्री पर वजन के आधार पर जो कर आरोपित किया गया है वह विधि के विरूद्ध है क्योंकि वजन पर कर दर हेतु अधिनियम, 1994 की धारा 9(1) में जारी अधिसूचना में "गिट्टी" को शामिल नहीं किया गया था। गिट्टी पर वजन आधारित कर दिनांक 11.09.2006 से लगाया गया। इस तरह अपीलीय आदेश कर दर हेतु जारी अधिसूचना के आधार पर किया गया है इसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

9. पत्रावली का हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाने पर पाया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2005—06 का प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था जिसमें यह निर्देश दिये गये थे कि वे बिल्डिंग मैटेरियल में लागू दर अनुसार करारोपण करें, न कि अधिसूचना दिनांक 15.01.2013 अनुसार वजन पर करारोपण करें, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने जो आदेश धारा 29 में दिनांक 29.05.2011 को पारित किया है, उसमें किसी प्रकार का कर नहीं लगाया गया है, इससे प्रतीत होता है कि व्यवहारी फर्म पर विधिक करारोपण ही नहीं किया गया है, जो कि प्रकट भूल प्रतीत होती है। अतः इस बिन्दु को कर निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस सम्बन्ध में परीक्षण करें कि वर्ष 2005—06 का विधि अनुसार संग्रहित कर राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है एवं उसमें प्रचलित कर दर अनुसार किसी भी तरह का करारोपण नहीं किया गया है बल्कि पूरे कर एवं ब्याज को समाप्त कर दिया है जबकि टर्नओवर पर नियमित कर आरोपित करना चाहिये था।

10. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी राजस्व की तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं वर्ष 2005—06 में उक्त अनुसार जांच करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे राजस्व रिसाव न हो।

11. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य